न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 734 सन 2022
अनवान :–

1. सुणाराम पुत्र देदाराम जाति मेधवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र देदाराम जाति मेधवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
2. अमीलाल पुत्र रावताराम जाति मेधवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
3. मौजीराम पुत्र रावताराम जाति मेधवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
4. नेकीराम पुत्र रावताराम जाति मेधवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
5. केसराराम पुत्र रावताराम जाति मेधवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
6. मनीराम पुत्र रावताराम जाति मेधवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
7. मांगीलाल पुत्र रावताराम जाति मेधवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
8. समेस्ता पुत्र रावताराम जाति मेधवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
9. चावली पत्नी रावताराम जाति मेधवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
10. माडुराम पुत्र देदाराम जाति मेधवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
11. मोहनलाल पुत्र पनाराम जाति मेधवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
12. सोहनलाल पुत्र पनाराम जाति मेधवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
13. हरदतसिह पुत्र पनाराम जाति मेधवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 04/10/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 192/178 की कुल 7.8680हैक्‍ भूमि वादी के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 166/155 की कुल 7.8680हैक्‍ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है व खाता संख्या 146/136 की कुल 14.4460हैक्‍ भूमि मृतक रावताराम के नाम दर्ज है व खाता संख्या 109/195 की कुल 7.8680हैक्‍ भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 117/103 की कुल 7.8680हैक्‍ भूमि प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के नाम बहिव दर्ज है

वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज देदाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्रो एव पौत्रों के नाम से दर्ज है जिसमें से रावताराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 है जो रावताराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

रावताराम वल्द देदाराम के नाम दर्ज भूमि रावताराम के देहान्त होने पर जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ,9 जो प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 की बहन माता है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है इसलिये रावताराम के नाम दर्ज भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,10 ता 13 एक ही परिवार के सदस्य है जो उपने पूर्वजो के नाम से दर्ज भूमि को पाने के हकदार है एव वर्तमान में खातेदार काश्तकार दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,10 ता 13 ने भूमि काश्त की सुविधा का ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है इसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 10 ता 13 के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है जिसे बाहमी बटवारा वाद की मद संख्या 4 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,10 ता 13 को कई मर्तबा कहा की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,10 ता 13 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि जो वर्तमान राजसव रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम /उनके पूर्वजो के नाम से दर्ज है वह वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,10 ता 13 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वज देदाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद उनके पुत्रों /पौत्रो के नाम से दर्ज हुई है प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने निवेदन किया की उनके पूर्वज रावताराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 है जो रावताराम के नाम दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ,9 समेस्ता , चावली जो प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 की माता व बहन है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयो/पुत्रों प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये रावताराम के नाम दर्ज भूमि के हकदार प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 है एव वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,10 ता 13 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने वाद भूमि का काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,10 तास 13 के बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 14 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 192/178 की कुल 7.8680हैक भूमि वादी के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 166/155 की कुल 7.8680हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है व खाता संख्या 146/136 की कुल 14.4460हैक भूमि मृतक रावताराम के नाम दर्ज है व खाता संख्या 109/195 की कुल 7.8680हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 117/103 की कुल 7.8680हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के नाम बहिब दर्ज है

वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज देदाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्रो एव पौत्रों के नाम से दर्ज है जिसमें से रावताराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 है जो रावताराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

रावताराम वल्द देदाराम के नाम दर्ज भूमि रावताराम के देहान्त होने पर जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ,9 जो प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 की बहन माता है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है इसलिये रावताराम के नाम दर्ज भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,10 ता 13 एक ही परिवार के सदस्य है जो उपने पूर्वजो के नाम से दर्ज भूमि को पाने के हकदार है एव वर्तमान में खातेदार काश्तकार दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,10 ता 13 ने भूमि काश्त की सुविधा का ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है इसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 10 ता 13 के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है जिसे बाहमी बटवारा वाद की मद संख्या 4 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 192/178 की कुल 7.8680हैक्ट भूमि वादी के नान दर्ज है तथा खाता संख्या 166/155 की कुल 7.8680हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है व खाता संख्या 146/136 की कुल 14.4460हैक्ट भूमि मृतक रावताराम के नाम दर्ज है व खाता संख्या 109/195 की कुल 7.8680हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 117/103 की कुल 7.8680हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के नाम बहिब दर्ज है।

वादी का कथन है कि रावताराम पुत्र देदाराम का देहान्त हो चुका है जो प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के पिता है रावताराम पुत्र देदाराम के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 है जो रावताराम के नाम दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है तथा प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र से रावताराम का देहान्त होना प्रमाणित है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 8 ता 9 जो वादी की बहन /माता है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है प्रतिवादी संख्या 2 तास 7 के कथनों को प्रतिवादी संख्या 8 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि जो रावताराम के नाम दर्ज है के प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी का कथन है कि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,10 ता 13 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने आपसी सहमति से वाद भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवारिक समझौता किया जाकर बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,10 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य वाद की मद संख्या 3 के अनुसार आपसी सहमति से वाद भूमि का बटवारा किया हुआ है इसी अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐत्तराज नहीहै

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 9 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
टोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानियां तहसील नोहर के खाता संख्या 192/178 के खसरा नं. 263/2 की 2.340 है0 भूमि में वादी का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जाती है , रोही मोजा ललानियां के खाता संख्या 146/136 के खसरा नं. 263/3 की 2.340 है0 भूमि में मृतक रावताराम पुत्र देदाराम का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि के मिन उत्तर की 0.013 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जाती है तथा शेष भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे तथा खाता संख्या 109/95 के खसरा नं. 263/4 की 2.353 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 10 का नाम कलमजन किया जाकर उपरौक्त भूमि के मिन उत्तर की 0.013 है0 भूगि वादी के नाम दर्ज की जावे तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा खाता संख्या 166/155 के खसरा नं. 263/5 की 2.353 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 10 के नाम दर्ज की जावे व खाता संख्या 146/136 के खसरा नं. 40/3 की 5.5280 है0 भूमि में मृतक रावताराम पुत्र देदाराम का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि के मिन पश्चिम की 1.348 है0 भूमि पर वादी के नाम दर्ज की जावे तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के ब0 हि0 ब0 के दर्ज की जावे तथा खाता संख्या 117/103 के खसरा नं. 39/1 की 3.9850 है0 भूमि जो प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 के नाम दर्ज है जिसमें से मिन पूर्व की 0.609 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 अपने नाम यथावत रखी जावे तथा खाता संख्या 192/178 के खसरा नं. 39/2 की कुल 3.8330 है0 भूमि जो वादी के नाम दर्ज है जिसमे से मिन पूर्व की 1.348 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा शेष भूमि वादी के नाम यथावत रखी जावे व खसरा नं. 40/2 की 1.6950 है0 भूमि जो वादीके नाम दर्ज है जिसमें से मिन पश्चिम की 0.609 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 के नाम ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा शेष भूमि वादी के नाम यथावत रखी जावे। रोही मौजा ललानियां के खाता संख्या 146/136 के खसरा नं. 315/1 की 2.783 है0 भूमि व खसरा नं. 319/8 की 3.795 है0 भूमि में मृतक रावताराम पुत्र देदाराम का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04/10/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सुणाराम पुत्र देदाराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 शंकरलाल पुत्र देदाराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
2. अमीलाल पुत्र रावताराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
3. मौजीराम पुत्र रावताराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
4. नेकीराम पुत्र रावताराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
5. केसराराम पुत्र रावताराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
6. मनीराम पुत्र रावताराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
7. मांगीलाल पुत्र रावताराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
8. रामेस्ता पुत्र रावताराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
9. चावली पत्नी रावताराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
10. मावुराम पुत्र देदाराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
11. मोहनलाल पुत्र पनाराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
12. सोहनलाल पुत्र पनाराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
13. हरदत्तसिंह पुत्र पनाराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 734 सन 2022 निर्णय दिनांक- 04/10/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानियां तहसील नोहर के खाता संख्या 192/178 के खसरा नं. 263/2 की 2.340 है0 भूमि में वादी का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जाती है , रोही मोजा ललानियां के खाता संख्या 146/136 के खसरा नं. 263/3 की 2.340 है0 भूमि में मृतक रावताराम पुत्र देदाराम का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि के मिन उत्तर की 0.013 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जाती है तथा शेष भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे तथा खाता संख्या 109/95 के खसरा नं. 263/4 की 2.353 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 10 का नाम कलमजन किया जाकर उपरौक्त भूमि के मिन उत्तर की 0.013 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा खाता संख्या 166/155 के खसरा नं. 263/5 की 2.353 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 10 के नाम दर्ज की जावे व खाता संख्या 146/136 के खसरा नं. 40/3 की 5.5280 है0 भूमि में मृतक रावताराम पुत्र देदाराम का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि के मिन पश्चिम की 1.348 है0 भूमि पर वादी के नाम दर्ज की जावे तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के ब0 हि0 ब0 के दर्ज की जावे तथा खाता संख्या 117/103 के खसरा नं. 39/1 की 3.9850 है0 भूमि जो प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 के नाम दर्ज है जिसमें से मिन पूर्व की 0.609 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 अपने नाम यथावत रखी जावे तथा खाता संख्या 192/178 के खसरा नं. 39/2 की कुल 3.8330 है0 भूमि जो वादी के नाम दर्ज है जिसमे से मिन पूर्व की 1.348 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा शेष भूमि वादी के नाम यथावत रखी जावे व खसरा नं. 40/2 की 1.6950 है0 भूमि जो वादीके नाम दर्ज है जिसमें से मिन पश्चिम की 0.609 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 के नाम ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा शेष भूमि वादी के नाम यथावत रखी जावे। रोही मौजा ललानियां के खाता संख्या 146/136 के खसरा नं. 315/1 की 2.783 है0 भूमि व खसरा नं. 319/8 की 3.795 है0 भूमि में मृतक रावताराम पुत्र देदाराम का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/10/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner